



F.32(21)/NHM/CSR/Telemedicine/Part-7/ 150

Date: 18/08/2021

अति-आवश्यक

समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,  
राजस्थान।

**विषय:- ई-संजीवनी टेलीकन्सलेशन सेवा के अधिकाधिक उपयोग बाबत।**

सन्दर्भ:- अनौपचारिक टिप्पणी क्रमांक 112 दिनांक 19/07/2021

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं संदर्भित पत्र के द्वारा जिला आशा समन्वयक के माध्यम से ई-संजीवनी टेलीकन्सलेशन सेवा के डोर-टू-डोर सर्वे एवं MCHN Day में उपयोग हेतु निर्देशित किया गया था।

राज्य स्तर पर समीक्षा करने पर यह देखा गया है कि केवल तीन जिलों (अलवर, पाली एवं राजसमन्द) के द्वारा अच्छी प्रगति दर्शायी गयी है जबकि अन्य जिलों द्वारा नगण्य/शून्य प्रगति दर्शायी गयी है जो कि ई-संजीवनी योजना के प्रति उदासीनता अथवा रुचि न होना दर्शाता है।

अतः आपको पुनः सूचित कर निर्देशित किया जाता है कि राज्य स्तर से जारी निर्देशों की अनुपालना एवं प्रगति सुनिश्चित करावें।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार

(डॉ. लक्ष्मण सिंह ओला)  
निदेशक (आरसीएच)

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-

1. निजी सहायक, मिशन निदेशक, एनएचएम एवं विशिष्ट शासन सचिव, चि0स्वा0प0क0।
2. निजी सहायक, निदेशक जन-स्वास्थ्य/ परिवार कल्याण।
3. राज्य कार्यक्रम प्रबन्धक, एनएचएम।
4. समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, जिला/उपखण्ड/सैटेलाईट चिकित्सालय।
5. समस्त जिला कार्यक्रम प्रबन्धक एवं शहरी कार्यक्रम प्रबन्धक।

राज्य नोडल अधिकारी-आईटी